मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-20

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 (चैत्र 1, 1928)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या-4 (क्रमांक-5152) पर शासन की ओर से उत्तर ठीक से न आने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 122 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 105 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री दुर्गालाल विजय,सदस्य ने श्योपुर जिले में लधु सिंचाई योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा न दिये जाने,

(2) पं. रमेश दुबे,सदस्य ने छिंदवाड़ा जिले के गोकुल ग्राम झिलमिली में निर्माणधीन कूप में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने,

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता,सदस्य ने भोपाल शिवाजी नगर क्षेत्र में बदबूदार पेयजल प्रदाय किये जाने,

(4) डॉ. सुनीलम्,सदस्य ने मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सारणी के कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति न दिये जाने, तथा

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य ने रीवा जिले में उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा सामग्री क्रय में अनियमितता की जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 20 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,
पटल पर रखा।

4. ध्यानाकर्षण

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं। सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण-की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके उन्होंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चारों ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर आधे घण्टे में चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, बृजेन्द्र तिवारी, लाल सिंह आर्य, सदस्य ने चंबल संभाग अन्तर्गत उपजाऊ जमीन चंबल नदी के कटाव से नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) सर्वश्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जसवंत सिंह राठौर, प्रेमचंद गुड्डू, सदस्य ने धार जिले के ग्राम मनावर निवासी व्यक्ति की संदिग्ध मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री दुलीचंद उरैती, सदस्य ने डिण्डोरी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों हेतु सामान क्रय में अनियमितता होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, जगन्नाथ सिंह, कृष्णकुमार सिंह (भंवर साहव), सदस्य ने सीधी जिले के ग्राम बघोड़ी में अनुसूचित जाति की बस्ती में आग लगाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री रामलखन शर्मा एवं श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य द्वारा शासन की ओर से सीधी जिले के ग्राम बघोड़ी में अनुसूचित जाति की बस्ती में आग लगाये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सत्यदेव कटारे, सभापति ने लोक लेखा समिति का 215 वां से 274 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री किशोरी लाल वर्मा, सदस्य ने खण्डवा जिले के -

(क) पंधाना नगर स्थित कन्या हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ख) ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ग) ग्राम दीवाल स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(घ) ग्राम आरूद स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(ड) ग्राम धनगांव स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(च) ग्राम कोलाडीट स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

(छ) ग्राम कालमुखी से बागरदा तक सड़क बनाये जाने,

(ज) ग्राम बगमार स्थित हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा

(झ) ग्राम निमाड़खेडी से सुलगांव तक सड़क बनाये जाने,

(2) श्री अमर सिंह कोठार, सदस्य ने राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पाड़ली के पास नेवज नदी पर बांध बनाये जाने,

(ख) ग्राम भीकनपुर के तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(ग) ग्राम गुलावता के तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(घ) ग्राम गुलावता से खुजनेर तक सड़क बनाये जाने,

(ड़) ग्राम कड़लावद से व्यावरा-माण्डू मार्ग तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(च) ग्राम विदेशी के पास काली सिन्ध नदी पर बांघ बनाये जाने,

संबंधी याचिकायें पढ़ी हुई मानी गई।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ.नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक,2006 (क्रमांक 3 सन् 2006), तथा

(2) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक,2006 (क्रमांक 5 सन् 2006),

सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(१) श्री सत्यदेव कटारे
(२) श्री लाल सिंह आर्य
(३) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(चर्चा अपूर्ण)

8. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2006 को सायंकाल 7.00 बजे से विधानसभा परिसर स्थित आडिटोरियम में माननीय सदस्यों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिसमें सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री शारदा सिन्हा के भोजपुरी गायन, गीतांजलि ग्रुप मथुरा द्वारा ब्रज की होली, फाग का गायन एवं बुंदेलखण्ड से श्री राजू पटेल, सागर समूह के फाग गायन की प्रस्तुति होगी।

कार्यक्रम के पश्चात् माननीय सदस्यों के लिए श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति, मध्यप्रदेश शासन की ओर से विधानसभा परिसर में रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होने का कष्ट करें।

(1.00 बजे से 2.35 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्री दुर्गालाल विजय
(7) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) डॉ. सुनीलम्

(9) श्री बृजमोहन धूत

(10) श्री रामनिवास रावत

(11) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2006 (क्रमांक 6 सन् 2006) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

04.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2006 (चैत्र 2, 1928) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.